COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

संख्या- 6 /2022/45/अस्सी-2-2022-100(9)/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 मई,2022

विषय:- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 एवं नीति के प्रथम संशोधन, 2021 के प्रस्तर-6.2.3.3 के प्राविधानान्तर्गत कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट प्रदान करने हेतु निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019 दिनांक- 13 सितम्बर, 2019 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 अधिसूचित है, जिसके प्रस्तर-6.2.3.3 में कृषि निर्यात में प्रयुक्त कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/विकास सेस में छूट की व्यवस्था प्राविधानित है। इसके क्रियान्वयन दिशा-निर्देश शासनादेश सं0-02/2020/174/ अस्सी-2-2020-100(9)/ 2019, दिनांक 13 मई, 2020 के प्रस्तर-5 में कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्रदान करने की अधिसूचना पृथक से जारी करना उल्लिखित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्रदान करने के लिए उ0प्र0 चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22), उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-

23) एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.07.2018 द्वारा मेंथा प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिंट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात बचे अवशेष के निर्यात हेतु प्रक्रिया पूर्व से संचालित है। उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति, 2019 के प्रथम संशोधन की अधिसूचना संख्या- 8/2021/182/अस्सी-2-2021-100(9)/2019, दिनांक- 27 अक्टूबर, 2021 के प्रस्तर- 6.2.3.3 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस आदि से छूट जो सामान्यत: 5 वर्षों तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जाना प्राविधानित किया गया है।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश से कृषि निर्यात प्रोत्साहन के उद्येश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 एवं नीति के प्रथम संशोधन, 2021 के प्रस्तर- 6.2.3.3 के प्राविधानान्तर्गत निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए कृषि निर्यात (उत्पाद /उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति ,2019 की अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019 दिनांक- 13 सितम्बर, 2019 से आगामी पांच वर्षों अर्थात दिनांक 12 सितम्बर, 2024 तक लागू रहेगी।
2. यह छूट उत्तर प्रदेश में उत्पादित विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में निर्यात करने पर डायरेक्ट एवं इन्डायरेक्ट निर्यातकों को देय होगी।
3. विनिर्दिष्ट/गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज को किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ/एफ.पी.सी)अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गठित कृषक उत्पादक समूह से अथवा आढ़ती/ व्यापारी के माध्यम से कृषि उत्पाद क्रय पश्चात ऐसे विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में स्वंय किसी देश को निर्यात करने पर उसे 'डायरेक्ट निर्यातक' तथा किसी अन्य निर्यातक के माध्यम से किसी देश को निर्यात करने पर उसे 'इन्डायरेक्ट निर्यातक' माना जायेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY
http://shasanadesh.up.gov.in

4. डायरेक्ट/ इन्डायरेक्ट निर्यातकों द्वारा कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज को किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ/एफ.पी.सी)अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत-प्रतिशत छूट तथा आढ़तियों/ व्यापारियों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।

5. डायरेक्ट निर्यातकों को भारत सरकार की संस्था एपीडा से पंजीकरण -सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (Registration cum Membership Certificate)/आर0सी0ए0सी0 (Registration Cum Allocation Certificate) प्राप्त करना होगा अथवा भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफ0टी0पी0) के अन्तर्गत किसी लाभ या छूट प्राप्त करने हेतु डी0जी0एफ0टी0 द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार व्यापार के मुख्य कृषि उत्पाद से सम्बन्धित निर्यात संवर्धन काउंसिल से पंजीकरण -सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर.सी.एम.सी.) प्राप्त करना होगा। उन्हें प्रदेश में पृथक से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा।

6. इन्डायरेक्ट निर्यातकों को विभागीय वेबसाइट (www.upkrishivipran.in) पर आनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम इन्डायरेक्ट निर्यातक को अपना मोबाइल नं0 ओ0टी0पी0 के माध्यम से सत्यापित कराना होगा, तत्पश्चात वांछित सूचनायें यथा मण्डी समिति का नाम, पर्सनल आई0डी0, पैन कार्ड आदि सूचनायें भरनी होगीं जिससे उन्हें एक आनलाइन स्वत: जनरेटेड पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा और वह कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय के साथ स्वयमेव पंजीकृत हो जायेगा। उक्त पंजीकरण इन्डायरेक्ट निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर आनलाइन निर्गत किया जायेगा और यदि पंजीकरण के समय अपलोड कराये गये अभिलेखों में कालान्तर में कोई अपूर्णता अथवा त्रुटि पायी जाती है तो ऐसा पंजीकरण स्वयमेव अमान्य (Automatically Void) हो जायेगा तथा निरस्तीकरण की सूचना सम्बन्धित को दे दी जायेगी। ऐसे प्रकरणों में पुन: आनलाइन आवेदन करने पर पंजीकरण तभी वैद्य होगा जब सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी द्वारा करा लिया जाय।

7. उक्त नीति के अन्तर्गत देय मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार व विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी डायरेक्ट निर्यातक/ इन्डायरेक्ट निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज को निर्यात करने से पूर्व अर्थात निर्यात हेतु गेट पास प्राप्त करने से पहले निर्यात किये जाने वाले स्थान से सम्बन्धित मण्डी समिति में अनिवार्य रूप से जमा करेगा, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने की तिथि से 30 दिन के भीतर मण्डी समिति द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त करते हुए निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार को सूचित किया जायेगा। निर्यात उत्पाद की गेट पास मात्रा, बैंक गारन्टी धनराशि के सीमान्तर्गत होना मण्डी समितियों के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्यात दायित्व सिद्ध होने के आदेश में सम्बन्धित बैंक गारण्टी का भी उल्लेख किया जायेगा। कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु बिना बैंक गारन्टी जमा किये/ कराये गेट पास जारी करने पर सम्बन्धित मण्डी सचिव उत्तरदायी होगें।

8. निर्यात दायित्व सिद्ध न होने पर सम्बन्धित मण्डी के सचिव द्वारा निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 को प्रकरण सन्दर्भित किया जायेगा, जिनके द्वारा बैंक गारन्टी की धनराशि मण्डी के पक्ष में जब्त करने के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा।

9. मण्डी निदेशक द्वारा निर्यातकों (डायरेक्ट/इन्डायरेक्ट) को मण्डी समितियों में निर्यात दायित्व सिद्ध करने के प्रपत्र आनलाइन अपलोड कर उपलब्ध कराने तथा स्वयं आनलाइन गेटपास प्राप्त करने की सुविधा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। निर्यातक द्वारा निर्यात की पूर्व सूचना मण्डी परिषद द्वारा विकसित पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करनी होगी जो सम्बन्धित मण्डी समिति व सम्बन्धित जनपद के सदस्य सचिव, जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई को आनलाइन एक्सेस होगी।

10. निर्यातकों (डायरेक्ट/इन्डायरेक्ट) द्वारा निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु मण्डी समिति से गेट पास कटने के 180 दिनों के भीतर निम्न स्वप्रमाणित प्रपत्र सम्बन्धित मण्डी सचिव को यथाशीघ्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने पर उनका निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा। निर्धारित अवधि में निर्यात दायित्व सिद्ध करने के प्रपत्र जमा न करने की दशा में उपरोक्त छूट अनुमन्य नहीं होगी तथा देय मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार व विकास सेस की वसूली/ समायोजन सम्बन्धित बैंक गारण्टी से की जायेगी। यदि उत्पाद का वास्तविक निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यातक के विरूद्ध मूल राशि ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

अ- डायरेक्ट निर्यातक के लिए निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु अभिलेख:-

I. डी0जी0एफ0टी0 (DGFT) कार्यालय द्वारा जारी किये गये इम्पोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (IEC) की प्रति।

II. एपीडा से RCMC (Registration cum Membership Certificate)/आर0सी0ए0सी0(Registration Cum Allocation Certificate) रजिस्ट्रेशन की प्रति अथवा भारत सरकार द्वारा किसी भी लाभ या छूट प्राप्त करने हेतु डी0जी0एफ0टी0 द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार व्यापार के मुख्य कृषि उत्पाद से सम्बन्धित निर्यात संवर्धन काउंसिल से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्त पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर.सी.एम.सी.)/ समकक्ष प्रमाणपत्र की प्रति।

III. कन्फर्म एक्सपोर्ट आर्डर जिसके साथ लेटर आफ क्रेडिट संलग्न हो अथवा परचेज एग्रीमेंट अथवा परचेज आर्डर की प्रति।

IV. आर्डर के अनुरूप उत्पाद/ प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने सम्बन्धी स्टाक रजिस्टर के अलग-अलग पृष्ठ पर अंकन जिसमें मौलिक कृषि उत्पाद का क्रय विवरण (तिथि एवं मात्रा सहित), प्रसंस्कृत उत्पाद की तिथि व मात्रा , गेट पास का विवरण मात्रा सहित हो।

V. शिपिंग बिल।

VI. बिल ऑफ लेडिंग की प्रति (यथा लागू)।

VII. एयर वे बिल (वायु मार्ग से निर्यात की दशा में)/ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अथवा फ्रेट फारवर्डर का बिल (सड़क मार्ग से निर्यात की दशा में)/ रेलवे रसीद (रेल मार्ग से निर्यात की दशा में)।

VIII. फाइटोसैनेटरी सर्टीफिकेट/सर्टीफिकेट ऑफ ओरिजिन (यथा लागू)।

IX. बैंक रियलाइजेशन सर्टीफिकेट (बी0आर0सी0) की प्रति (निर्धारित अवधि में बी0आर0सी0 प्राप्त न होने की दशा में युक्तियुक्त कारणों सहित आवेदन किये जाने पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा सहमति की दशा में 90 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है)

नोट:- निर्यातित देश एवं परिवहन के साधन की व्यवस्थानुसार उपरोक्त प्रपत्रों में से क्रम संख्या VI, VIII व IX के प्रपत्र नियमानुसार प्राप्त/ जनरेट न होने की दशा में उक्त प्रपत्र के स्थान पर निर्यातक को इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

ब- इनडायरेक्ट निर्यातक के लिए निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु अभिलेख:-

I. कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में पंजीकरण का प्रमाणपत्र।

II. वास्तविक निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराया गया कन्फर्म एक्सपोर्ट आर्डर जिसके साथ लेटर आफ क्रेडिट संलग्न हो अथवा परचेज एग्रीमेंट अथवा परचेज आर्डर की प्रति।

III. आर्डर के अनुरूप उत्पाद/ प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने सम्बन्धी स्टाक रजिस्टर के अलग पृष्ठ पर अंकन जिसमें मौलिक कृषि उत्पाद का क्रय विवरण (तिथि एवं मात्रा सहित), प्रसंस्कृत उत्पाद की तिथि व मात्रा, गेट पास का विवरण मात्रा सहित हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IV. डायरेक्ट निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराये गये शिपिंग बिल की प्रति जिसमें इन्डायरेक्ट निर्यातक के नाम का अनिवार्य अंकन हो।

V. डायरेक्ट निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराये गये एयर वे बिल (वायु मार्ग से निर्यात की दशा में)/ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अथवा फ्रेट फारवर्डर का बिल (सड़क मार्ग से निर्यात की दशा में)/ रेलवे रसीद (रेल मार्ग से निर्यात की दशा में)

VI. डायरेक्ट निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल ऑफ लेडिंग की प्रति (यथा लागू)।

VII. मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय करने अथवा प्रसंस्करण इकाई हेतु जारी लाइसेंस की प्रति।

VIII. डायरेक्ट निर्यातक द्वारा इन्डायरेक्ट निर्यातक को किये गये भुगतान का साक्ष्य।

11. क्रय किये गये विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज यथा खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, शीघ्र नाशवान कृषि उत्पाद यथा फल व सब्जी इत्यादि और उनसे तैयार प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात दायित्व निर्धारित करने के परिपेक्ष्य में **संलग्न एनेक्जर-1** के अनुसार मौलिक रूप में क्रय की गयी कृषि उत्पाद की न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत मात्रा का निर्यात करना आवश्यक होगा। प्रसंस्करणकर्ता-निर्यातक/ निर्यातक चाहे तो रिकवरी के न्यूनतम मानक प्रतिशत से आदर्श रिकवरी प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है।

अग्रेतर यह कि निर्यात दायित्व निर्धारित करने हेतु **संलग्न एनेक्जर-1** में उल्लिखित विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज/ प्रसंस्कृत उत्पाद के अतिरिक्त किसी अन्य विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज/ प्रसंस्कृत उत्पाद के सम्बंध में न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत व आदर्श रिकवरी प्रतिशत के निर्धारण हेतु निर्यातक निर्यात जनपद में उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति-2019 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई के सदस्य सचिव को उक्त के निर्धारण हेतु अपने उत्पाद से सम्बन्धित आदर्श रिकवरी प्रतिशत के मानक से अवगत कराते हुए न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत के निर्धारण हेतु आवेदन कर सकेगें। आवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष, जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई के द्वारा न्यूनतम तीन सदस्यीय समिति गठित करते हुए 30 कार्य दिवसों में उक्त आदर्श रिकवरी प्रतिशत का सत्यापन कराते हुए न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा, जो उस जनपद से उक्त विनिर्दिष्ट/ गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज/ प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात दायित्व निर्धारण हेतु अनुमन्य होगा। प्रतिबन्ध यह है कि न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत किसी भी दशा में आदर्श रिकवरी प्रतिशत के 50 प्रतिशत की सीमा से कम नहीं होगा। प्रसंस्करणकर्ता-निर्यातक/ निर्यातक चाहे तो रिकवरी के न्यूनतम मानक प्रतिशत से आदर्श रिकवरी प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है।

उपर्युक्त दोनो स्थितियों में आदर्श रिकवरी मानक और वास्तविक रूप से निर्यातित कृषि उत्पाद/उत्पादन के अन्तर की मात्रा को स्थानीय/ आंतरिक बिक्री माना जायेगा और इस अन्तर की मात्रा की बिक्री पर नियमानुसार मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस देय होगा। निर्धारित न्यूनतम मानक प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर निर्यातक को मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/2018/1592/80-1-2018-600(17)/2018 दिनांक 10 जुलाई 2018 के द्वारा मेंथा प्रसंस्करण इकाईयों को मेंथा प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिंट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात बचे अवशेष के निर्यात पर देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट संबन्धी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर इस शासनादेश के प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

13. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी 'उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22)' एवं 'उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23)' में मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से प्रदान की जा रही छूट के प्राविधान उक्त योजनाओं की समयावधि तक यथावत प्रवृत्त रहेगें, तत्पश्चात चावल एवं तिल के निर्यात पर भी इस शासनादेश के प्राविधान लागू होगें।

14. नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश से कृषि उत्पाद अथवा प्रसंस्कृत उत्पाद का निर्यात विश्व के किसी भी देश को किया जा सकता है चाहे उस देश से विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है।

3. कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों हेतु अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'कृषि निर्यात बन्धु' की बैठक में निवारण हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. डायरेक्ट/ इन्डायरेक्ट निर्यातकों को मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की छूट हेतु निर्यात दायित्व सिद्ध करने के प्राप्त प्रपत्रों के प्रकरणों पर सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा छूट के प्रकरणों पर लिये गये निर्णयों पर असहमति की दशा में डायरेक्ट/ इन्डायरेक्ट निर्यातक निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रत्यावेदन दे सकते हैं। निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश द्वारा डायरेक्ट/ इन्डायरेक्ट निर्यातकों के प्रत्यावेदन पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन स्तर पर पुनर्विचार हेतु डायरेक्ट/ इन्डायरेक्ट निर्यातक अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। शासन स्तर से लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नक-एनेक्जर-1

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in
COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

संख्या- 6 /2022/45/अस्सी-2-2022-100(9)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि वह कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्राविधानानुसार मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार तथा विकास सेस से छूट व्यवस्था के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किये गये निर्देशों से अवगत करायेंगें।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश,कृषि भवन लखनऊ।
9. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. आयुक्त वाणिज्य कर, स्टेशन रोडलखनऊ।
11. समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर।
13. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12सी, माल एवन्यू, लखनऊ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्राविधानानुसार मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार तथा विकास सेस से छूट व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
15. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश कानपुर।
16. स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
17. सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
18. सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय,उद्योग भवन, नई दिल्ली।
19. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन,नई दिल्ली।
20. सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन,नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21. निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, कक्ष सं0-11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
22. अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एन0सी0यू0आई0 बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
23. चेयरमैन, इंडियन ऑयल सीड्स एण्ड प्रोड्यूस एक्पोर्ट एशोसिएशन, 78-79 बजाज भवन, नारीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021
24. निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी, लखनऊ।
25. अध्यक्ष, आल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स, पी0एच0डी0 चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पी0एच0डी0 हाउस (चतुर्थ तल) फेज-1, एशियन गेम्स काम्प्लेक्स के पीछे, नई दिल्ली।
26. उत्तर प्रदेश तिल निर्यातक संघ, डी-235, विवेक विहार, नई दिल्ली-110095
27. मिंट मैनूफैक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एशोसिएशन, मेंथाल हाउस, बिसौली गेट, चन्दौसी, जनपद सम्भल-244412
28. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथा समय उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
29. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

शासनादेश संख्या- 6 /2022/45/अस्सी-2-2022-100(9)/2019 ,दिनांक 05 मई,2022 का

एनेक्जर-1

क्र0सं0	कृषि जिन्स/ उत्पाद का नाम	न्यूनतम रिकवरी प्रतिशत	आदर्श रिकवरी प्रतिशत
अ	कृषि उत्पाद (मौलिक रूप में) (Agricultural Produce in raw form)	50	100
ब	प्रसंस्कृत उत्पाद		
	1. गेहूं आटा (गेहूं से)	50	90
	2. चावल सामान्य (धान से)	50	66.66
	3. चावल बासमती (धान से)	45	66.66
	4. राइस स्टार्च (चावल से)	50	80
	5. चावल आटा (चावल से)	50	70
	6. मक्का आटा (मक्का से)	50	80
	7. मक्का स्टार्च (मक्का से)	50	80
	8. मिलेट्स आटा (मिलेटस से)	50	93
	9. ज्वार आटा (ज्वार से)	50	95
	10. आलू आटा (आलू से)	15	25
	11. आलू (फ्रोजन) (आलू से)	25	60
	12. बेसन (चना दाल से)	35	80
	13. मूंगफली गिरी (मूंगफली से)	45	70
	14. टमाटर जूस (टमाटर से)	45	60
	15. टमाटर पैस्ट (टमाटर से)	20	30
	16. पील्ड टोमैटो (टमाटर से)	60	80
	17. निर्जलीकृत(Dehydrated) सब्जियां	15	20
	18. ग्रेपफ्रूट जूस कन्सनट्रेट	20	25
	19. फरमेन्टेड वेवरेज(वाइन के अतिरिक्त)	25	60
	20. मैंगो जूस	5	10
	21. मैंगो पल्प	40	60
	22. कॉटन लिंट	25	33
	23. प्रसंस्कृत तिल (कच्चे तिल से)	75	75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	24. मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिंट के तेल से निकाले गये प्रसंस्कृत उत्पाद	85	95
	25. मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिंट के तेल	95	100

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLARI

आज्ञा से

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।